भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **232**
दिनांक **24** जून, 2019

आई॰ओ॰सी॰एल॰ संयंत्र के वरुद्ध शकायतें

232. श्री हिबी इडनः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार को कोच्चि स्थित पुथू व पन भारतीय तेल निगम ल मटेड (आई॰ओ॰सी॰एल॰) के आस-पास रहने वाले लोगों की ओर से कोई शकायतें अथवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त आई॰ओ॰सी॰एल॰ संयंत्र के आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के संबध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या लोगों के आपातका लक बहिर्गमन, यदि जरूरी हुई, के लए कोई सुरक्षा सावधनी तय की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) इं डयन ऑयल कार्पोरेशन ल. (आईओसीएल) ने बताया है क स्थानीय प्रदर्शनकारी परियोजना के वरूद्ध आंदोलन करते रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केरल सरकार के माननीय उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 07.04.2017 को और केरल के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 11.05.2017 को बुलाई गई बैठकों के दौरान अपनी शकायत उठाई है। माननीय मुख्य मंत्री, केरल द्वारा दिनांक 21.06.2017 की बैठक के बाद एक वशेषज्ञ स मति का गठन कया गया था और स मति ने अक्तूबर, **2017** में अपनी सफारिशें प्रस्तुत कर दी थी। इसके बाद, जिला कलेक्टर द्वारा कार्यों को पुनः शुरू करने के लए दिनांक 08.06.2018 को प्रयास कए गए थे। तथा प, आंदोलनकारियों ने फर से इन्हीं शकायतों को उठाया था और कार्य को पुनः शुरू करने नहीं दिया। स्थानीय निवा सयों द्वारा राष्ट्रीय हरित अ धकरण (एनजीटी), द क्षणी क्षेत्र में एक मामला भी दायर कया गया था जिसमें सीआरजैड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। एनजीटी ने दिनांक 22.12.2017 को आईओसीएल के पक्ष में मामले को खारिज कर दिया था।

(ख) आईओसीएल ने बताया है क निम्न ल खत के लए भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इं डया ल. के माध्यम से जो खम वश्ले षण संबंधी अध्ययन कया गया था और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार की गई थी :-

(i) संयंत्र के ऐसे अति संवेदनशील हिस्सों की पहचान करना जिनसे प्रस्ता वत संयंत्र सु वधाओं के चलते कोई दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र, प्रचालन स्टाफ और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है।

(ii) संयंत्र और पर्यावरण के संबंध में जो खम भरी घटनाओं की समग्र नुकसान की संभाव्यता का आकलन करना।

(iii) संयंत्र में कार्यकलापों के संबंध में कुल वैयक्तिक जो खम का आकलन करना।

(ग) और (घ) आईओसीएल ने बताया है क आईओसएल की आपात प्रबंधन योजना (डीएमपी) के तहत, जरूरत पड़ने पर लोगों को आपात स्थिति में बाहर निकालने के लए सुरक्षा संबंधी एहतिहात निर्धारित कए जाते हैं। डीएमपी में, व भन्न कार्यकारी एजें सयों जैसे पु लस, फायर ब्रिगेड, च कत्सा सेवाओं, तकनीकी एजें सयों, पुनर्वास एजें सयों, वद्युत बोर्ड आदि को भू मकाएं और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। योजना के अनुसार, पु लस वभाग को स्थल नियंत्रक/जिला कलेक्टर की सलाह पर लोगों को बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया है।

*****